Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड II ◆ अंक 2

अगस्त 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बाढ़ से राहत

बैंक बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे महाराष्ट्र राज्य को उदारतापूर्वक अपने राहत पैकेज प्रदान करें, जहां अभूतपूर्व वर्षा के कारण आयी बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। बैंक शाखाओं को यह निदेश दिये गये हैं कि जैसे ही जिला/राज्य प्राधिकारी जिले/राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हैं, उसके तत्काल बाद राहत पैकेज देना प्रारंभ करें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस आपदा से प्रभावित खेतिहरों, लघु औद्योगिक इकाइयों, दस्तकारों, छोटे कारोबारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि प्रस्तावों की व्यवहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, रिहायशी मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के साथ आपदाग्रस्त छोटे ट्रांसपोर्ट आपरेटरों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करें जिनमें टैक्सी, आटोरिक्शा आपरेटर शामिल हैं।

इन उपायों में जीवन निर्वाह के लिए आपदाग्रस्त व्यक्तियों को उपभोग ऋण, मार्जिन अपेक्षाओं में छूट देने या राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सहायता अनुदानों, सब्सिडियों को मार्जिन के रूप में मानने, न केवल मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए ऋण का प्रावधान करने बल्कि अन्य पात्र व्यक्तियों को भी मौजूदा ऋणों को बदलने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ चुकौती कार्यक्रम फिर से बनाने/पुनर्संरचित करने के उपाय शामिल हैं। इस पैकेज में विकासात्मक प्रयोजनों हेतु प्रभावित व्यक्तियों को मीयादी ऋण उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसके अलावा, बैंक, ब्याज लगाते समय ऐसे मामलों में सहृदयतापूर्वक विचार करें और वर्तमान देयों की चुकौती में हुए विलंब के लिए दण्डात्मक ब्याज से छूट देने और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के आस्थगन पर भी विचार करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे राज्य में प्रभावित व्यक्तियों को बिना किसी संपार्श्विक जमानत के दिये जानेवाले उपभोग ऋण की सीमा 5,000 रुपये तक बढ़ा दें। शाखा प्रबंधक उधारकर्ता की चुकौती हैसियत को देखते हुए अपने विवेक पर यह सीमा 10,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही बैंकों से कहा गया है कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करें।

रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के संयोजक बैंक से कहा है कि वह राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष बैठक बुलाये ताकि इस स्थिति पर विचार करने और रिज़र्व बैंक के राहत पैकेजों के अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विशेष उपायों की सिफारिश की जा सके।

बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलना

राज्य सरकार महाराष्ट्र में आयी अभूतपूर्व बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को 50,000 रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपयों तक के चेक जारी करने की व्यवस्था कर रही है। हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पास बैंक खाता हो अथवा न हो। जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें तुरंत बैंक खाते खोलना आवश्यक होगा। अत:, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसे व्यक्तियों को बैंक में शीघ्र खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से न्यूनतम औपचारिकताओं का पालन करें। ये खाते निम्नलिखित तरीके से खोले जा सकते हैं -

(क) अन्य खाता धारक द्वारा दिया गया परिचय अथवा

(ख) पहचान बताने वाले दस्तावेज़, जैसे - मतदाता पहचान-पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालय, कंपनी, स्कूल, महाविद्यालय आदि द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र तथा पता दर्शाने वाला दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि अथवा

(ग) ऐसे दो पड़ोसियों द्वारा कराया गया परिचय, जिनके पास उपरि निर्दिष्ट दस्तावेज हैं अथवा

(घ) उपर्युक्त कुछ भी न होने पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य जिससे बैंक संतुष्ट हो जाए।

विषय सूची

	पृष्ठ
बाढ़ से राहत	
बैंक बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देंगे	1
बाढ़ पीडित व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलना	1
नीति	
बैंकों के एक्सपोज़र पर जोखिम भार	2
बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश	2
छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि	2
बैंकिंग	
'अपने ग्राहक को जानिये' क्रियाविधि में निम्न आय वर्ग के लिए ढील दी गयी	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
बाह्य वाणिज्यिक उधार	4
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	4
भारतीय कंपनियों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति	4
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां	4

नीति

बैंकों के एक्सपोज़र पर जोखिम भार

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों के एक्सपोज़रों पर जोखिम भार निम्नानुसार बढ़ाया जाये:

वाणिज्यिक स्थावर संपदा

बैंकों के सभी बकाया वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़रों पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है और यह सतत आधार पर लागू होगा।

वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र की परिभाषानुसार यह वह एक्सपोज़र है जो (क) वाणिज्यिक स्थार संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुप्रयोजनीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डारण स्थान, होटल, भू-अर्जन, विकास और निर्माण, आदि) के बंधक द्वारा जमानतप्राप्त निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र है और (ख) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और उपर्युक्त (क) के एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित अन्य जमानती एक्सपोज़रों में निवेश किया जाता है।

पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र

पूंजी बाज़ार एक्सपोज़रों पर ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ा कर 125 प्रतिशत कर दिया गया है। पूंजी बाज़ार एक्सपोज़रों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

(क) बैंक द्वारा ईक्विटी शेयरों यूनिटों, परिवर्तनीय बांड और डिबेंचरों और ईक्विटी-उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश,

(ख) ईक्विटी शेयरों (प्रारंभिक सार्वजनिक (निवेश) प्रस्तावों/कर्मचारी स्टॉक आप्शन सहित), बांडों और डिबेंचरों, ईक्विटी-उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों आदि में निवेश के लिए व्यक्तियों के शेयरों के बदले अग्रिम आदि, और

(ग) शेयर दलालों को जमानती और बेजमानती अग्रिमों और शेयर दलालों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।

बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश

राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अब इस बात की अनुमति दी गई है कि वे मामला-दर-मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना अपनी वास्तविक अधिशेष निधियों को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते -

i) नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट किये गये गैर-अतिदेय कवर अनुशासन का पालन किया गया हो;

ii) राज्य/जिले में सहकारी समितियों की सभी कानूनी ऋण आवश्यकताएं पूरी की गयी हों;

iii) नाबार्ड को की जानेवाली चुकौती में कोई चूक न हुई हो;

iv) निर्दिष्ट सीआरआर और एसएलआरआर बनाये रखा गया हो;

v) प्रस्तावित निवेश के लिए राज्य अधिनियम में प्रावधान हो और बैंकों द्वारा ऐसा निवेश करने के प्रति सहकारी समितियों के पंजीयक को कोई एतराज न हो;

vi) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 11(1) का पालन किया गया हो;

vii) उस बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देशाधीन न रखा गया हो;

viii) बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की किसी भी धारा के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस न जारी किया गया हो।

जो बैंक उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते उन्हें अब से मामला-दर-मामला आधार पर गैर-एसएलआर निवेश हेतु रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों यथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों/ईक्विटी में बैंकों का कुल निवेश पिछले वर्ष की 31 मार्च की तारीख को उनकी कुल जमा राशियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में निवेश हेतु 5 प्रतिशत की उप-सीमा शामिल है।

छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि

माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए कतिपय उपायों की घोषणा की। तदनुसार, बैंकों को निम्नानुसार कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है -

वर्तमान में कुछ विशेष वस्तुओं यथा; होज़री, दस्ती औज़ार, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, लेखन- सामग्री और खेल-कूद के सामानों को छोड़कर, जहाँ निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है, लघु उद्योग इकाई वह औद्योगिक उपक्रम है, जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रु. से अधिक न हो। एक व्यापक कानून संसद में विचाराधीन है, जिससे लघु उद्योगों का छोटे और मध्यम उद्यमों में आमूल-चूल परिवर्तन सुलभ हो सकेगा। इस कानून के अधिनियम बनने तक वर्तमान लघु उद्योगों/अत्यंत लघु उद्योगों की मौजूदा परिभाषा बनी रहेगी। संयंत्र और मशीनरी में लघु उद्योग सीमा से अधिक तथा 10 करोड़ रुपये तक निवेश वाली इकाइयां मध्यम उद्यम मानी जाएंगी। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में केवल लघु उद्योग वित्तपोषण ही सम्मिलित किया जाएगा।

ऋण प्रवाह सुधारने के उपाय

- बैंक छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें ताकि अभी-अभी बीते वर्ष में अधिक संवितरण परिलक्षित हो, जबकि अत्यंत लघु इकाइयों और अपेक्षा से छोटी इकाइयों के वित्तपोषण हेतु उप-लक्ष्य क्रमशः 40% और 20% की सीमा तक बने रहेंगे।
- बैंक, उद्यम के क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध उधार की लागत वाली पारदर्शक रेटिंग प्रणाली अपनाकर छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के प्रस्तावों के जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उधार मूल्यांकन और रेटिंग साधन (सीएआरटी), जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) और एक व्यापक रेटिंग मॉडल विकसित किये हैं। बैंक इन मॉडलों का लाभ उठाकर अपनी लेन-देन लागत कम करने पर विचार कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने हाल ही में लघु उद्योग इकाइयों को प्रसिध्द क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रेडिट रेटिंग योजना आरंभ की है। बैंक इन रेटिंग पर विचार करें और जहां उचित लगे, उधार लेनेवाली छोटी और मध्यम उद्यम इकाइयों को दी गई रेटिंग्स के आधार पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंक प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्धशहरी / शहरी शाखा में औसतन कम से कम 5 नये छोटे / मध्यम उद्यमों को क्रेडिट कवर देने के सघन प्रयास करें।
- बैंकों के बोर्ड लघु उद्योग क्षेत्र को उधार के संबंध में दिनांक 1 जुलाई 2005 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के आधार पर छोटे और

मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋणों के संबंध में एक व्यापक तथा उदार नीति तैयार करें। बैंकों द्वारा इस प्रकार की नीतियाँ तैयार किए जाने तक लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को प्रदान किए जाने वाले ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेश लागू रहेंगे।

- छोटे तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र को सामूहिक आधार पर वित्तपोषण का दृष्टिकोण अपनाने से लेन-देन लागत में कमी आने और जोखिम घटने की संभावना रहती है तथा इससे मूलभूत ढाँचे में सुधार के लिए सही अनुमान मिलता है। बैंक छोटे तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। सिडबी, भारतीय बैंक संघ के सहयोग से प्रत्येक पहचान किए गए समूह में जोखिम संबंधी सामान्य आँकड़े इकट्ठे करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा तथा छोटे (अत्यन्त छोटे सहित) उद्यमों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अनुप्रयोग मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करेगा। सिडबी ने चयनित समूहों में लघु उद्यम वित्तीय केन्द्र (एस ई एफ सी) स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्रत्येक समूह के जोखिम प्रोफाइल का अध्ययन व्यावसायिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिले का प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक समूह अपनाने पर विचार कर सकता है।
- छोटे तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पोषण हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र तथा 31 मार्च 2004 को लघु उद्योगों के अनर्जक खातों के एक बारगी निपटान की योजना प्रारम्भ की जा रही है।

निगरानी/समीक्षा

- लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की समीक्षा के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्था यथा रिज़र्व बैंक में स्थायी परामर्शदात्री समिति तथा बैंकों के प्रधान कार्यालयों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थापित कक्ष अत्यंत लघु क्षेत्र सहित छोटे तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराए जाने की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
- रिज़र्व बैंक, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण तथा रुग्ण लघु उद्योग और छोटी एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकार प्राप्त समितियां गठित कर रहा है। यह समिति इस क्षेत्र में सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु भी समन्वय करेगी। ये क्षेत्र स्तरीय समितियाँ समूह/जिला स्तर पर ऐसी ही समितियां गठित करने की आवश्यकता पर निर्णय लेगी।

बैंक मध्यम उद्यमों की प्रधानता वाले पहचाने गए समूहों/केन्द्रों में विशेषीकृत छोटी और मध्यम उद्यम वित्तपोषी शाखाएं स्थापित करना सुनिश्चित करें ताकि छोटे और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण आसानी से मिल सके तथा विकसित करने के लिए बैंक स्टाफ को सुसज्जित करें। मौजूदा विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं का छोटी और मध्यम उद्यम वित्तपोषी शाखाओं के रूप में पुन: नामकरण भी किया जाए। हालाँकि, मुख्य क्षमता को छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र में वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा लेकिन उसमें अन्य क्षेत्रों/उधारकर्ताओं को वित्त/अन्य सेवाएं प्रदान करने की परिचालनीय नमनीयता रहेगी।

व्यापक प्रसार और सुलभ पहुँच के लिए बैंकों के बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नीति संबंधी दिशा-निर्देश तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश/दिशा-निर्देश संबंधित बैंकों और सिडबी के वेब साइट पर प्रदर्शित किए जाएं। बैंक द्वारा छोटे उद्यमियों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं/योजनाओं को अपनी प्रत्येक शाखा में भी मुख्य रूप से प्रदर्शित करें।

बैंकिंग

'अपने ग्राहक को जानिये' क्रियाविधि में निम्न आय वर्ग के लिए ढील दी गयी

निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि को और सरल बनाया जाए। तथापि, खाते खोलने हेतु अपनाई जानेवाली क्रियाविधि में दिया गया लचीलापन उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक शेष राशि नहीं रखना चाहते और उनके सभी खातों को मिलाने पर वर्ष में उन खातों की कुल जमा राशि कुल मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक होने की संभावना न हो।

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि खाता खोलने को इच्छुक व्यक्ति यदि अपनी पहचान और पते के साक्ष्य में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो बैंक नीचे दी गई क्रियाविधि अपनाकर उनका खाता खोल सकते हैं -

क) ऐसे अन्य खाताधारक से परिचय जिसने 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित शर्तें पूरी की हैं। परिचयकर्ता का खाता बैंक के पास कम-से-कम छह महीने से हो और उसमें संतोषजनक रूप में लेनदेन किये गये हों। खाता खोलने का प्रस्ताव करनेवाले ग्राहक का छाया चित्र (फोटोग्राफ) तथा उसका पता परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है; अथवा

ख) ग्राहक की पहचान और पते के लिए अन्य कोई साक्ष्य जिससे बैंक को संतुष्टि हो जाए।

उपर्युक्त प्रक्रिया से खाता खोलते समय, ग्राहक को यह जानकारी देकर सावधान करें कि यदि किसी भी समय बैंक में उसके सभी खातों की (कुल मिलाकर) शेष राशि 50,000/- रुपये से अधिक हो जाती है या खाते में कुल जमा 1 लाख या उससे अधिक हो जाती है तो आगे किसी भी प्रकार के लेन-देन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि 'अपने ग्राहक को जानिए' (के वाई सी) प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं। ग्राहक को असुविधा न हो, इसलिए जब शेष राशि 40,000/- रुपये तक पहुंच जाये या साल भर में कुल जमा 80,000/- रुपये तक हो जाये तब बैंक अपने ग्राहक को सूचित करें कि के वाई सी प्रक्रिया लागू करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा सभी खातों की कुल शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाने पर या एक साल में कुल जमा 1 लाख रुपये से अधिक हो जाने पर खाते के परिचालन रोक दिए जाएंगे।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के खाते खोलते समय केवाईसी मानदंडों में ढील दी जाए ताकि वे सरकार से प्राप्त अनुदान को जमा करने में समर्थ हो सकें। ये खाते भी उन खातों के समकक्ष माने जाएं जो इस परिपत्र में निहित शर्तों के अनुसार खोले गए हों। तथापि, ऐसे खातों में अधिकतम शेष राशि सरकार से प्राप्त अनुदान या 50,000 रुपये में से जो भी अधिक हो, रखने की अनुमति दी जाए तथा अनुदान राशि की प्रारंभिक जमा को कुल जमा में नहीं गिना जाए।

आपको याद होगा कि नवम्बर 2004 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहक स्वीकृति नीति और खाता खोलते समय अपनाई जाने वाली ग्राहक पहचान क्रियाविधि तैयार करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अनुमानित जोखिम के आधार पर ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाले वर्गों में वर्गीकृत करें। अपने ग्राहक को जानिये संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वह दस्तावेज़ों के माध्यम से ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करें। रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आयी है कि यद्यपि पहचान और पते के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़ों की आवश्यकताओं में लचीलापन प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, खासकर निम्न आय वर्ग के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोग, बैंक की संतुष्टि तक ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2004-05** **Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05**
30 अगस्त तथा 31 अगस्त 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेरित

विदेशी मुद्रा प्रबंध

बाह्य वाणिज्यिक उधार

विद्यमान समष्टि आर्थिक स्थितियों, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के संचालन में रिज़र्व बैंक को हुए अनुभवों और कतिपय क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधार विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई है।

तदनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति निम्नानुसार उदारीकृत/आशोधित की गयी है :

- बुनियादी परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए बुनियादी उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुदेशीय वित्तीय संस्थाओं की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ख़्याति प्राप्त क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, सरकारी निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा लिए जानेवाले 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधिवाले बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।
- विशिष्ट मानदण्डों को पूरा करनेवाली आवास वित्तपोषक कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।
- उधारकर्ता कंपनी में विदेशी ईक्विटी धारक द्वारा धारित की जानेवाली ईक्विटी की न्यूनतम धारिता (जो बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता के रूप में विदेशी ईक्विटी धारक होने के लिए योग्य होगा) को स्पष्ट किया गया है:
- प्राधिकृत व्यापारी 200 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार की समय पूर्व चुकौती की अनुमति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर दे सकते हैं बशर्ते उस ऋण के संबंध में लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया गया हो। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार की समय पूर्व चुकौती के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय बैंकों/ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा रुपये में मूल्यांकित संरचित देशी देयताओं का क्रेडिट बढ़ाने हुतु आवेदनों पर अब से रिज़र्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करेगा। इसके पहले ऐसी अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी।

यह संशोधित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और समीक्षा के अधीन रहेगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निम्नानुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाए -

प्रिंट मीडिया

समाचार और सामयिक विषयों पर समाचारपत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करनेवाली किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 26 प्रतिशत की संयुक्त उच्चतम सीमा के अंदर ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति दी जाए। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी को इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई 2005 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। यह मार्गदर्शी सिद्धांत मंत्रालय की वेबसाइट http://mib.nic.in/informationb/CODES/FDI2130705.htm पर उपलब्ध हैं।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों पर प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदने पर लगाए गए पूर्व प्रतिबंध हटा लिए हैं।

निर्माण विकास

स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत नगर क्षेत्र, गृह, निर्मित बुनियादी और निर्माण विकास परियोजनाओं (जिसमें गृह, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट्स, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की मूलभूत बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं परन्तु ये केवल उन तक ही सीमित नहीं होंगे) में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है।

पेट्रोलियम क्षेत्र

पेट्रोलियम उत्पाद विपणन, लघु और मध्यम दोनों आकार के तेल क्षेत्रों में तेल की खोज़ और पेट्रोलियम उत्पाद की पाईपलाईनों में स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है।

हवाई परिवहन सेवाएं

हवाई परिवहन सेवाओं (देशी हवाई सेवाएं) में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत और अन्यों के लिए 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है। तथापि, विदेशी हवाई सेवाओं द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी सहभागिता की अनुमति नहीं दी जायेगी।

भारतीय कंपनियों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति

यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में विदेशी राष्ट्रिक की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय कंपनी को यह सामान्य शक्ति प्रदान की गयी है कि वह अपने गैर-पूर्णकालिक निदेशक को, जो भारत से बाहर का निवासी है और कंपनी के काम से भारत आया हुआ है, उसके उपस्थिति शुल्क या कमीशन या पारिश्रमिक और भारत आने-जाने तथा भारत के भीतर यात्रा करने पर आये हुए यात्रा व्यय के लिए रुपये में भुगतान कर सकती है।

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां

विदेशी मुद्रा बाज़ारों संबंधी तकनीकी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की समीक्षा और प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को मौजूदा चार करेंसियों, अर्थात् अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और येन के अलावा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियाँ कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में स्वीकार करने की अनुमति दी जाए। बैंकों को अधिकतम पांच वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां स्वीकार करने की भी अनुमति दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा योजना के संबंध में लागू अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग), आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट पर www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**